

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा।

मि. 15

पत्रांक...../मधेपुरा, दिनांक.....

प्रेषक,

संजय कुमार वर्मा,
प्रभारी पदाधिकारी,
पी०एम०ई०जी०पी०,
जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा।

सेवा में,

1. अग्रणी जिला प्रबंधक,
एस०बी०आई०, मधेपुरा।
2. क्षेत्रीय प्रबंधक,
यू०बी०जी०बी०, मधेपुरा।
3. समन्यवक,
सी०बी०आई०, मधेपुरा।
4. समन्यवक,
पी०एन०बी०, मधेपुरा।
5. समन्यवक,
यूको बैंक, मधेपुरा।
6. समन्यवक,
इण्डियन बैंक, मधेपुरा।
7. समन्यवक,
बी०ओ०बी०, मधेपुरा।
8. समन्यवक,
बी०ओ०आई०, मधेपुरा।
9. समन्यवक,
केनरा बैंक, मधेपुरा।
10. समन्यवक,
एक्सिस बैंक, मधेपुरा।
11. समन्यवक,
एच०डी०एफ०सी० बैंक, मधेपुरा।
12. समन्यवक,
यूनियन बैंक, मधेपुरा।

विषय:- प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत वित्तीय वर्ष- 2014-15 के सफल कार्यान्वयन एवं शत-प्रतिशत लक्ष्य/सब्सिडी की प्राप्ति के संबंध में।

प्रसंग:- उद्योग निदेशक, बिहार, पटना के ज्ञापांक- 310, दिनांक- 27.01.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में माननीय जिला पदाधिकारी सह-अध्यक्ष पी०एम०ई०जी०पी० के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय

वर्ष- 2014-15 के सफल कार्यान्वयन एवं शत-प्रतिशत लक्ष्य/सब्सिडी की प्राप्ति हेतु सहयोग करना हम सभी का परम कर्तव्य है, क्योंकि यह योजना भारत सरकार की बेरोजगारी उन्मूलन हेतु एक महत्वाकांक्षी योजना है।

जिले के औद्योगिक विकास में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवा/युवतियों को बैंको द्वारा ऋण प्रदान कर स्वनियोजित करना एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जैसा कि आप जानते हैं, कि आवेदन-पत्रों का प्रेषण जिला उद्योग केन्द्र/खादी ग्रामोद्योग आयोग एवं खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा बैंकों को किया जा चुका है। बैंकों द्वारा स्वीकृत मामलों का अभी तक पूर्ण भुगतान नहीं हो पाया है, जो कि अत्यंत खेद का विषय तथा स्वतः विचारनीय है। वित्तीय वर्ष की समाप्ति में अब बहुत ही कम समय शेष रह गया है। अगर यही रफ्तार रहा तो 31 मार्च 2015 तक का स्वीकृत मामलों का अंतिम भुगतान/सब्सिडी का दावा सुनिश्चित नहीं हो सकेगा।

बैंको को निर्धारित लक्ष्य भी सांकेतिक है, किसी भी शाखा द्वारा PMEGP Guideline के अनुसार जो भी ऋण आवेदन-पत्र स्वीकृत/वितरित होगा, उन्हें मार्जिन-मनी/सब्सिडी देय होगा। साथ ही जिन बैंक शाखाओं को लक्ष्यांक नहीं भी प्राप्त हुआ है, लेकिन ऋण आवेदन-पत्र जिला स्तरीय टास्क फोर्स से चयनित कर भेजा गया है, वैसे भी अगर PMEGP Guideline के अनुसार ऋण स्वीकृत/वितरित करते हैं, तो उन्हें मार्जिन-मनी (सब्सिडी) देय होगा। संबंधित बैंक अपने नोडल शाखा से मार्जिन-मनी/सब्सिडी प्राप्त करेंगे।

इस संबंध में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति को प्रधानसचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के अनुमोदनार्थ उपरांत उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा पत्र जारी किया जा चुका है।

आप से अनुरोध है कि आवेदकों के ऋण की स्वीकृति/भुगतान सुनिश्चित कराने तथा इस योजना को सफल बनाने में अपना व्यक्तिगत ध्यान देते हुए सभी शाखा प्रबंधकों को निर्देश देने की कृपा करेंगे।

इसे अतिआवश्यक समझें।

विश्वासभानुन

(संजय कुमार वर्मा)

(बि030से0)

प्रभारी पदाधिकारी,

पी0एम0ई0जी0पी0,

जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा।

झापांक.....107.....दिनांक.....10.2.15

प्रतिलिपि- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन0आई0सी0), मधेपुरा से अनुरोध है कि निदेशानुसार इस सूचना को बेवसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

28.2.15
(संजय कुमार वर्मा)

(बि0उ0से0)

प्रभारी पदाधिकारी,

पी0एम0ई0जी0पी0,

जिला अद्योग केन्द्र, मधेपुरा।